रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 1975/फाल्गुन 22, 1896
No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 1975/PHALGUNA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th March 1975

No. A.11013/E/122/72-Ad.IV.—In supersession of the orders contained in their Resolution F. No. A.11013/E/122/72-Ad.IV, dated the 31st January, 1975, the Government of India have decided that the Tobacco Excise Tariff (Expert) Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) before the 30th April, 1975.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

JASJIT SINGH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1975

सं० ए० 11013/ई०/122/72-प्रशा–IV.—भारत सरकार ने, दिनांक 31 जनवरी, 1975 के अपने संकल्प सं० ए० 11013/ई०/122/72 प्रशा० IV में निहित आदेशों का अधिलंघन करते हुए, यह निर्णय किया है कि तम्बाकू उत्पादन शुल्क टैरिफ (विशेषज्ञ) समिति, अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को 30 अप्रैल, 1975 से पूर्व प्रस्तुत कर देगी ।

आ दे श

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों को प्रेषित की जाय, और इसे सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

जसजीत सिंह, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975